

पण्डित दीनदयाल
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025

शिविर- मंदापुरा

दिनांक:- 27/6/2025

प्रकरण संख्या:- 84/2025

उपनाम

श्री रामराज पुत्र रामदास
प्रा. नि. मंदापुरा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का मंदापुरा भू अ. नि. समारमोप एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम मंदापुरा पो हठ मंदापुरा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 185 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
L	नाम शुद्धि	संतोष पुत्री रामदास हि 10	अंतोऊ पुत्री रामदास हि 10

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सं मा०)

प्रतिहिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री रामराज पुत्र रामदास प्रा. नि. मंदापुरा
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सं मा०)